मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3/3/02/3/एक

भोपाल, दिनांक 21-3-02

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषय.— प्रशासकीय विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग में परामर्श हेतु भेजी जाने वाली नस्तियों के संबंध में.

सन्दर्भ:— इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी-3/32/97/3/एक, दिनांक 16-1-98 एवं ज्ञाप क्रमांक सी-3/13/1/3/99, दिनांक 15-4-99.

प्रशासकीय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को परामर्श हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों के संबंध में इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये थे.

2. तथापि कतिपय प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणों में देखा जा रहा है कि प्रकरण संक्षेपिका के बिना अथवा संक्षेपिका में अपेक्षित बिन्दु/बिन्दुओं के उल्लेख किए, अवर सचिव/उपसचिव स्तर से ही सामान्य प्रशासन विभाग को अंकित किये जाते हैं, जो उचित नहीं है.

3. अत: पुन: निवेदन है कि सामान्य प्रशासन विभाग को अभिमत हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे :—

(1) केवल ऐसे प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे जायें, जिनमें नियम/निर्देश की स्थिति स्पष्ट न हो.

(2) प्रकरण में तथ्यात्मक एवं सुस्पष्ट संदर्भित संक्षेपिका (Chronological order) रखी जावे, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अपेक्षित अभिमत हेतु बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख किया जावे. संक्षेपिका सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ रखी जावे.

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त यदि किसी अन्य विभाग का मत लिया जाना प्रथमदृष्टि से आवश्यक समझा जाना परिलक्षित हो, तो उसे प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण इस विभाग को भेजा जावे.

(4) प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदन के बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जावे.

(5) यदि प्रकरण में कोई विभागीय नीतिगत निर्णय निहित हो, तो सक्षम स्तर से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जावे.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.